[2019] 7 एससीआर 724।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

बनाम

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और अन्य आदि।

(2007 की सिविल अपील संख्या 684)

मई 09, 2019

[न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनगौदर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी]

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 - केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2001 - नियम 1.3 और 1.7 - ऋण और इक्विटी के बीच एफईआरवी (विदेशी विनिमय दर भिन्नता) - अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि किसी भी विदेशी मुद्रा को पूंजीगत लागत में जोड़ा जाता है न कि व्यक्तिगत रूप से ऋण या इक्विटी में - आगे यह तर्क दिया गया कि इस पूंजीगत लागत को बाद में ऋण और इक्विटी में विभाजित किया जाता है। मानक ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर - स्वाभाविक रूप से, यहां तक कि विदेशी विनिमय दर में भिन्नता को ऋण और इक्विटी दोनों की ओर विभाजित करने की आवश्यकता है - माना जाता है: ऋण और इक्विटी के बीच विदेशी विनिमय दर भिन्नता का विभाजन कानून का सवाल नहीं है, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है - इसके अलावा, नियम 1.3 (ए) केवल विदेशी मुद्रा दर भिन्नता की गणना की पद्धति तक ही सीमित है - कोई नियम नहीं, अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत विनियम, क़ानून या मिसाल यह साबित करने के लिए कि गणना के बाद विदेशी मुद्रा दर भिन्नता को आवश्यक रूप से ऋण-इक्विटी अनुपात में विभाजित करने की आवश्यकता है, यह साबित करने के लिए बहुत कम कि यह अनुपात क्या है और किन कारकों के रूप में निर्धारित किया जाता है - इसके अलावा, उस आधार को ध्यान में रखते हुए जिस पर अधिनियम, 1998 लागू किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टैरिफ विनियम, इस अधिनियम के तत्वावधान में निर्धारित 2001 में किसी विशेष ऋण-इक्विटी अनुपात में विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता के विभाजन का प्रावधान नहीं है - इस प्रकार, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

अपीलों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा:

1. ऋण और इक्विटी के बीच विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (विदेशी विनिमय दर भिन्नता) के विभाजन के बारे में वर्तमान प्रश्न कानून का प्रश्न नहीं है, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2001 के विनियम 113(क) जिसका उल्लेख इस न्यायालय के समक्ष विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के विभाजन के तर्क के समर्थन में किया गया है, वास्तव में विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के विभाजन का प्रावधान नहीं करता है बल्कि केवल विदेशी विनिमय दर भिन्नता की गणना की पद्धति तक ही सीमित है। विदेशी विनिमय दर भिन्नता गणना की यह पद्धति चुनौती में नहीं है और सीईआरसी (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग) के साथ-साथ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पहले ही इसकी पुष्टि की जा चुकी है। अपीलकर्ता द्वारा इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए किसी नियम, विनियमन, क़ानून या मिसाल का हवाला नहीं दिया गया है कि गणना के बाद

विदेशी मुद्रा दर भिन्नता को आवश्यक रूप से ऋण-इक्विटी अनुपात में विभाजित करने की आवश्यकता है, यह साबित करने के लिए बहुत कम है कि यह अनुपात वास्तव में क्या है और किन कारकों पर इसे निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, केवल इस आधार पर, कानून के पर्याप्त प्रश्न के अभाव में, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 6] [727-जी-एच; 728-ए-सी]

2. किसी भी मामले में, टैरिफ विनियम, 2001 के विनियम 1.3 और 1.7 के अनुसार विदेशी विनिमय दर में भिन्नता की गणना करने के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर किए बिना प्रतिवादी संख्या 1 से इसकी वसूली की जा सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में, विदेशी विनिमय दर भिन्नता को अपीलकर्ता द्वारा किसी भी नियम, विनियमन, क़ानून या मिसाल कानून का हवाला दिए बिना, अभ्यास के मामले के रूप में 50:50 के मानक ऋण-इक्विटी अनुपात में पूंजीकृत करने की मांग की जाती है। [पैरा 7 और 8] [728-सी-डी, एफ]

3. यह टिप्पणी इस तथ्य के आलोक में प्रासंगिक हो जाती है कि यह अधिनियम 1998 से पहले विद्युत क्षेत्र की समस्याओं में सुधार के लिए पेश किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, तर्कसंगत खुदरा टैरिफ की कमी, खराब योजना और प्रचालन, उपभोक्ता की उपेक्षा और एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की अनुपस्थिति। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति की रक्षा करना और उनमें सुधार करना भी था, जो तर्कहीन प्रशुल्कों और बजटीय सहायता की कमी के कारण भारी नुकसान उठा रहे थे। इस प्रकार, जिस आधार पर अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिनियम के तत्वावधान में निर्धारित टैरिफ विनियम, 2001 में किसी विशेष ऋण-इक्विटी अनुपात में विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के विभाजन का प्रावधान नहीं है, यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है। [पैरा 9] [728-जी-एच; 729-ए]

4. इसके अलावा, वर्तमान विवाद 01-04-2001 और 31-03-2004 के बीच विदेशी मुद्रा दर भिन्नता गणना और विभाजन के कारण प्रभारित टैरिफ के संबंध में उत्पन्न होता है। उपर्युक्त अवधि के लिए अब विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के बंटवारे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। यह उन उपभोक्ताओं के साथ अन्याय होगा जो उपर्युक्त अवधि के लिए उपभोक्ता नहीं थे, लेकिन अंततः 15-18 साल पहले हुए लेनदेन का खामियाजा भुगतेंगे। यह वर्तमान मामले में हस्तक्षेप न करने का एक और आधार है। [पैरा 10] [729-B-C]

यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन। लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड (2009) 6 एससीसी 235:[2009] 3 एससीआर 1060 - पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ

[2009] 3 एससीआर 1060 पैरा 10 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की सिविल अपील संख्या 684।

विद्युत अपीलीय अधिकरण के दिनांक 04.10.2006 के निर्णय एवं आदेश से 2005 की अपील संख्या 135, 136, 137, 138, 139 और 140 में।

के साथ

2015 की सिविल अपील संख्या 13452।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, एमजी रामचंद्रन, सुश्री स्वप्ना शेषाद्री, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री पायल दयाल, सुश्री परिचिता चौधरी, मानव वोहरा, एमजी रामचंद्रन, केवी मोहन, शुभम आर्य, सुश्री पूर्वा सहगल, सुश्री तान्या सरीन, सिद्धार्थ चौधरी, पंकज कुमार मिश्रा, ए. भस्मे, ए. एस. भस्मे, गोपाल प्रसाद, सुश्री योगमाया अग्निहोत्री, अशोक कुमार सिंह, प्रदीप मिश्रा, सुश्री इंदु मिश्रा, सूरज सिंह, मनोज कुमार शर्मा, टी. हरीश कुमार, आशीष कुमार, पी. वी. दिनेश, सुश्री सिंधु टी.पी., मुकुंद पी. उन्नी, देवाशीष भारुका, रवि भारुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, आदित्य सिंगला, सुश्री दिव्या रॉय, वसुधा सेन, सुनील फर्नांडीस, सौरभ मिश्रा, अभिषेक सिंह, समृद्धि पाल, एस. वल्लीनायगम, सी. के. राय, पेश पक्षों के वकील।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना द्वारा सुनाया गया था।

2007 की सिविल अपील संख्या 684

1. वर्तमान अपील केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली ["केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग"] के निर्णयों से उत्पन्न होती है, जिसमें आयोग द्वारा विदेशी मुद्रा दर भिन्नता ["विदेशी विनिमय दर भिन्नता"] के पूंजीकरण से संबंधित एक मुद्दे का निर्धारण किया गया था और उसके बाद क्रमशः दिनांक 30.06.2003 और 04.12.2003 के आदेशों के माध्यम से एक समीक्षा याचिका में इसकी पुष्टि की गई थी। अपील पर, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने 2005 की अपील संख्या 135-140 में दिनांक 04.10.2006 के निर्णय के तहत विदेशी मुद्रा दर भिन्नता का पता लगाने के लिए कार्यप्रणाली को मंजूरी दी; तथापि, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में भिन्नता के विभाजन के संबंध में, अपील की अनुमति दी गई थी और विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन को केवल ऋण देयता के संबंध में विभाजित करने का निदेश दिया गया था। विद्युत अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली का यह निर्णय हमारे समक्ष चुनौती में है।

2. अपीलकर्ता एक ट्रांसमिशन कंपनी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली के परिवहन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना, निष्पादन और उपलब्ध कराती है। परिवहन के लिए यह जो टैरिफ लेता है, वह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन एक ऐसा पास है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाता है कि विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव के आधार पर कोई भी दायित्व या लाभ लाभार्थी को क्रमबद्ध तरीके से पारित किया जाता है।

3. हमारे समक्ष सीमित मुद्दा विदेशी विनिमय दर में भिन्नता की गणना किए जाने और पूंजी लागत में जोड़े जाने के बाद विदेशी विनिमय दर में भिन्नता को ऋण और इक्विटी में विभाजित करना है।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कोई भी विदेशी मुद्रा पूंजीगत लागत में जोड़ी जाती है, न कि व्यक्तिगत रूप से ऋण या इक्विटी में। इसके बाद इस पूंजी लागत को एक मानक ऋण-इक्विटी अनुपात के आधार पर ऋण और इक्विटी में विभाजित किया जाता है। स्वाभाविक रूप से, यहां तक कि विदेशी विनिमय दर में भिन्नता को भी ऋण और इक्विटी दोनों में विभाजित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उनका तर्क है कि विदेशी विनिमय दर में भिन्नता को अभ्यास के रूप में इस रूप में विभाजित किया गया है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने इस तरह के अभ्यास के अस्तित्व पर विवाद किया। उन्होंने तर्क दिया कि विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 ["अधिनियम"] ऐसी प्रथाओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उन्होंने टैरिफ विनियम, 2001 के विनियम 1.3 और 1.7 का उल्लेख किया और तर्क दिया कि विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता के कारण अर्जित देयता अपीलकर्ताओं द्वारा सीधे प्रतिवादी संख्या 1 से वसूल की जा सकती है और विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के पूंजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

6. वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड के विस्तृत अवलोकन से, शुरू में, हम ध्यान देते हैं कि ऋण और इक्विटी के बीच विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के विभाजन के बारे में वर्तमान प्रश्न कानून का सवाल नहीं है, कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2001 [प्रशुल्क विनियम, 2001] का विनियम 113(क) जिसे विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के विभाजन के तर्क के समर्थन में हमारे समक्ष उद्धृत किया गया है, वास्तव में विदेशी विनिमय दर में भिन्नता के विभाजन का प्रावधान नहीं करता है बल्कि केवल विदेशी विनिमय दर भिन्नता की गणना की पद्धति तक ही सीमित है। विदेशी विनिमय दर भिन्नता गणना की इस पद्धति को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा विद्युत अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इसकी पहले ही पुष्टि की जा चुकी है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए हमारे समक्ष किसी नियम, विनियम, संविधि या दृष्टांत का हवाला नहीं दिया गया है कि गणना के बाद विदेशी मुद्रा विनिमय दर में भिन्नता को आवश्यक रूप से ऋण-इक्विटी अनुपात में विभाजित करने की आवश्यकता है, यह प्रमाणित करने के लिए बहुत कम है कि यह अनुपात वास्तव में क्या है और किन कारकों पर इसे निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, केवल इस आधार पर, कानून के पर्याप्त प्रश्न के अभाव में, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

7. किसी भी मामले में, टैरिफ विनियम, 2001 के विनियम 1.3 और 1.7 के अनुसार विदेशी मुद्रा दर भिन्नता की गणना करने के बाद, अपीलकर्ताओं द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर किए बिना प्रतिवादी संख्या 1 से इसकी वसूली की जा सकती है। प्रशुल्क विनियम, 2001 के विनियम 13 और 17 में निम्नानुसार प्रावधान है

"1.3 ये विनियम वहां लागू होंगे जहां पूंजी लागत-आधारित टैरिफ आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

1.7 आयकर और विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता की वसूली यूटिलिटियों द्वारा आयोग के समक्ष याचिका दायर किए बिना लाभार्थियों से सीधे की जाएगी। इन मामलों में दावा की गई राशि पर लाभार्थियों द्वारा किसी भी आपत्ति के मामले में, वे आयोग के समक्ष उचित याचिका दायर कर सकते हैं। (जोर दिया गया)

8. वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है, यानी 2007 की सिविल अपील संख्या 684। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा दर में भिन्नता को अपीलकर्ता द्वारा किसी भी नियम, विनियमन, संविधि या पूर्ववर्ती कानून का हवाला दिए बिना, अभ्यास के मामले के रूप में 50:50 के मानक ऋण-इक्विटी अनुपात में पूंजीकृत करने की मांग की जाती है।

9. यह टिप्पणी इस तथ्य के आलोक में प्रासंगिक हो जाती है कि यह अधिनियम 1998 से पहले विद्युत क्षेत्र की समस्याओं में सुधार के लिए पेश किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, तर्कसंगत खुदरा टैरिफ की कमी, खराब योजना और प्रचालन, उपभोक्ता की उपेक्षा और एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की

अनुपस्थिति। इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति की रक्षा करना और उनमें सुधार करना भी था, जो तर्कहीन प्रशुल्कों और बजटीय सहायता की कमी के कारण भारी नुकसान उठा रहे थे। इस प्रकार, जिस आधार पर अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिनियम के तत्वावधान में निर्धारित टैरिफ विनियम, 2001 में किसी विशेष ऋण-इक्विटी अनुपात में विदेशी मुद्रा दर भिन्नता के विभाजन का प्रावधान नहीं है, यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।

10. इसके अलावा, वर्तमान विवाद विदेशी मुद्रा दर भिन्नता गणना और विभाजन के कारण 01-04-2001 और 31-03-2004 के बीच प्रभारित टैरिफ के संबंध में उत्पन्न होता है। उपर्युक्त अवधि के लिए अब विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के बंटवारे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। यह उन उपभोक्ताओं के साथ अन्याय होगा जो उपर्युक्त अवधि के लिए उपभोक्ता नहीं थे, लेकिन अंततः 15-18 साल पहले हुए लेनदेन का खामियाजा भुगतेंगे। यह वर्तमान मामले में हस्तक्षेप न करने का एक और आधार है [देखें यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड, (2009) 6 एससीसी 235]।

11. उपर्युक्त टिप्पणियों के प्रकाश में, अपील खारिज की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

2015 की सिविल अपील संख्या 13452

12. यह अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 18.08.2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के खिलाफ पसंद की जाती है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा पसंद की गई अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा गया कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने दिनांक 04.10.2006 के निर्णय को सही ढंग से लागू किया है, जो वही आदेश है जो 2007 की सिविल अपील संख्या 684 में लागू किया गया है, इस मामले में और निर्देश दिया कि संपूर्ण विदेशी मुद्रा दर भिन्नता को केवल ऋण देयता के संबंध में विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, मुद्दा समान होने के कारण, इस अपील को ऊपर निर्धारित चर्चा की अगली कड़ी में भी खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील खारिज कर दी गई।

इला देओल, एडवोकेट